Research Paper History

Nari Vimaurs Dharmshastro ke Sandarbh me

नारी विमर्शः धर्मशास्त्रों के सन्दर्भ में

Dr.Daljit Singh | प्राध्यापक, इतिहास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीन्द (हरियाणा)

KEYWORDS

वर्तमान समय में नारी अधिकार अर्न्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है नारी की पराधीनता एंव पिछड़ी समाजिक दशा हमारे वर्तमान समाज की प्रमुख समस्याओं में से एक ज्वलन्त समस्या है सृष्टि की मेरूदण्ड नारी को विश्व के सभी राष्ट्रों की संस्कृति का आधार माना गया है विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली नारी की स्थिति में सदैव परिवर्तन होते रहे हैं वर्तमान सामाजिक क्षेत्र में नारी को अनेक यातनाएं खुलेआम या घर के बन्द दरवाजे के पीछे सहन करनी पड़ रही है दिन–प्रतिदिन सामाजिक अत्याचार हो रहे हैं ऐसी स्थिति में नारी अधिकारों पर विचार–विमर्श करना अतिआव यक है नारी अधिकारों का प्रकाश में नहीं आना एंव धार्मिक परम्पराएं हो सकती है, क्योंकि किसी देश की सामाजिक, राजनैतिक एंव सांस्कृतिक चेतना को उसकी सामाजिक परम्पराएं प्रभावित करती है इस सन्दर्भ में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय परम्परा जो मूलतः धर्मशास्त्रों पर आधारित है इसमें ही नारी को दोयम दर्जा दिया गया है और यह परम्परा ही नारी की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी है दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि धर्मशास्त्र–परम्परा में नारी का उच्च स्थान है–इनके अनुसार धर्मशास्त्र–प. रम्परा में "यत्र नार्यस्तु पूज्यनते, रमन्ते तत्र देवताः।" जैसे उल्लेख हैं जो नारी को ज्ञान और सम्पत्ति का पुंज मानते हैं, समाज में उसे आदरणीय स्थान प्रदान करते हैं, इन विद्वानों का यह भी मानना है कि धर्म ाास्त्रों परम्परा में नारी और पुरूष दोनों को सामान दर्जा दिया गया है और पुरूष के अभाव में नारी को व नारी के अभाव में पुरूष को अपूर्ण माना गया है। इस सन्दर्भ में ही इस शोधपत्र में धर्मशास्त्रों परम्परा में नारी को प्राप्त स्वतंत्रता समानता एंव शिक्षा के अधिकारों की विवेचना का प्रयास किया गया है।

स्वतन्त्रता का अधिकार–

वैदिक युग में स्त्रियों को कुछ स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, उन्हें अपनी रूचि का पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, वेदों में वर्णन मिलते हैं कि पर्वो या विशेष सामाजिक उत्सवों में आभूषणों से अंलकृत स्त्रियाँ अपने प्रेमियों को मोहने के लिए जाती थी।[1] अथवेद में प्रेमी द्वारा प्रेमिक. ाओं को दिए जाने वाले उपहारों के वर्णन है।[2] वैदिक युग में युवक तथा युवतियों को अपने योग्य जीवन साथी का चुनाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी ऋग्वेद काल में स्वयंवर होते थे।[3] इसी प्रकार स्त्री को पति का चुनाव करने की स्वतंत्रता महाकाव्यकाल में भी थी।[4] विषम परिस्थितियों में नारी को धनार्जन करने की भी स्वतंत्रता थी वधु को यह आशीर्वाद दिया जाता था। कि वह सभा में आत्मविश्वास से बोले[5] अतः नारी को सभा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त थी।

किन्तु धर्मशास्त्र–परम्परा के स्मृति युग में नारी की स्वतंत्रता का हनन हुआ। स्मृति ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्मृतिकाल में स्त्रियों की दशा उत्तम नहीं रही। स्त्रियों को शूद्रो की श्रेणी में रखा गया और उन्हें वेद आदि के अध्ययन से वंचित किया गया तथा मनु, गौतम आदि ने स्त्रियों को अस्वतन्त्र माना है।[6] मनु के अनुसार स्त्री को बचपन में, जवानी और बुढ़ापे में भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए, पिता पति ओर पुत्र की आज्ञा से ही कोई काम करना चाहिए।[7] इसी प्रकार वशिष्ठ और बौधायन के अनुसार स्त्री स्वतंत्र नहीं है।[8] मनु के अनुसार स्त्री बचपन में पिता के यौवनावस्था में पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे स्वतंत्र कभी न रहे।[9] इस प्रकार स्मृति काल में नारी की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से हनन कर उसे अन्य के अधीन माना है। मनु वशिष्ठ और बौधायन के मतानुसार स्त्री की रक्षा बचपन में पिता युवावस्था और वृद्धावस्था में पुत्र करते है इनके अनुसार स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है।[10] गौतम स्मृति और नारद स्मृति के अनुसार भी स्त्री स्वतंत्र नहीं है[11] और नारदीय स्मृति के अनुसार सवतंत्रता से कुलीन स्त्रियां भी बिगड़ जाती है। अतः स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई गई है। मनु के अनुसार नारी को पिता, पति और पुत्र से पृथक रहने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अभाव से स्त्री, पित और पति दोनों के वशों को निंदित कर देती है।[12] उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि धर्मशास्त्रों परम्परा में नारी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था।

समानता का अधिकार

वेदों में नारी का जो वर्णन हुआ है उससे ज्ञात होता है कि उस समय समाज में नारी को समानता का अधिकार प्राप्त था नारी पुरुष की सहभागिनी और सहायिका थी, स्त्री–पुरूष के साथ यज्ञ में बैठती थी और उसे यज्ञ करने का अधिकार था वह युद्ध में पुरूषों के साथ जाया करती थी और युद्ध कार्यो में भाग भी लेती थी।[13] ब्राह्मण ग्रन्थ व उपनिषदों में भी नारी को पति की अर्धांगिनी बताया है आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने पति–पत्नी को धार्मिक कृत्यों में समान माना है।[14]

धर्मशास्त्र–परम्परा में सभी धर्मशास्त्रकारों ने पति तथा पत्नी को समान रूप से सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना है महाभारत में नारी को धर्म, अर्थ तथा काम का मूल माना गया है। और पुरूष की अर्धांगिनी बताया गया, धर्मशास्त्रों की मान्यता रही है बिना गृहिणी के गृह नहीं है (गृहिणी गृहमुच्चते), धर्मशास्त्र–परम्परा में स्त्री–पुरूष के दाम्पत्य जीवन में अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि संतान के बिना पुरूष को परलोक में सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती पत्नि के महत्व के विषय में मनु ने कहा है कि–अपनी सन्तान चरित्र कुल तथा अपनी व अपने धर्म की रक्षा मनुष्य अपनी पत्नी की सुरक्षा करते हुए ही कर सकता है। स्मृतियों में पत्नी तथा पुरूष के सम्बन्ध को क्षेत्र एंव बीजी के उपमान द्वारा व्यक्त किया गया है। जिससे ज्ञात होता है कि पुरूष तथा स्त्री एक–दूसरे के पूरक थे और अन्योन्याश्रित है अर्थात् दोनों समान थे। हालांकि धर्मशास्त्रकार गृहस्थ जीवन में पत्नी के अत्यधिक महत्व को मान्यता देते हैं उनके अनुसार पत्नी पति को दो प्रकार के ऋणों से मुक्त करती है पति के साथ यज्ञ में भाग लेकर देवऋण से तथा पुत्र उत्पन्न करके पितृऋण से वेद, में स्मृमियों में, लोकाचार में पत्नी को विद्वानों द्वारा पति का आधा शरीर कहा गया है, पुण्य और पाप के फल वह पति के साथ तुल्यरूप में ग्रहण करती है। स्त्री अर्धांगिनी मानी गई है अतः स्त्री और पुरूष दोनों को एकसमान अधिकार प्राप्त है और दोनों के लिए एक ही समान व्रत करने का अधिकार है।[16] साध्वी पुत्री भी सास–ससुर और माता–पिता की स्वर्ग पहुंचा देती है अतः पिता के लिए पुत्र और पुत्री समान हैं दोनों ही उसके वंश को चलाने वाले हैं अतः पुत्र और पुत्री में भेद न करे।[17]

शिक्षा प्राप्ति का अधिकार–

वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्ध ाी व्यवस्था उन्नत थी बहुत–सी नारियों ने वैदिक ऋचाएं तक रची हैं जैसे–अत्रि कुल की विश्ववारा ने ऋग्वेद का 5.28 सुक्त रचा है, अपाला ने ऋग्वेद का 8–11 और घोषा काक्षीवती ने ऋग्वेद का 10.38 सुक्त रचा है ऋग्वेद में [21] ऋषिकाओं का उल्लेख है इनके द्वारा दृष्ट मन्त्रों की संख्या सैकड़ों में है मत्रं अधिकांशत दशम मण्डल में हैं बृहदारण्यक उपनिषद् में दो विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है।[18] सूत्रकाल में भी स्त्रीशिक्षा का प्रचलन था स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, गर्गी वाचक्नवी वडवाप्रतिथेयी एंव सुलभा मैत्रेयी इन तीन शिक्षिकाओं को ऋषि रूप में सम्बोधित किया गया है।[19] बाल्मिकी रामायण में भी वर्णन मिलता है कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। महाभारत में माता को सर्वश्रेष्ठ गुरू बताया गया है। (सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और माता से बढ़कर कोई गुरू नहीं है।[20] अतः रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था थी अर्थात् नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था वैदिक साहित्य में भी उल्लेख मिलता है कि विवाह के योग्य बनने के लिए अध्ययन की अनिवार्यता थी।[21] माता–पिता स्वयं अपनी कन्या को ब्रह्मचर्य जीवन में समुचित रूप से प्रतिष्ठित किया करते थे, अध्ययनरत छात्राओं की दो श्रेणियाँ थीं प्रथम श्रेणी की छात्राएं ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, जो आजीवन आध्यात्म तथा दर्शनशास्त्र की छात्रा थी। द्वितीय श्रेणी की छात्राएं 'सद्योवधू' कहलाती थीं ओर विवाह के पूर्व तक ये अपना अध्ययन जारी रखती थी कन्याओं के लिए वेदाध्ययन आवश्यक था, क्योंकि स्त्रियों को नियमित रूप से प्रातः संध्या वैदिक प्रार्थनाएं करनी पड़ती थीं और पत्नियाँ यज्ञादि में अपने पति के साथ मंत्रोच्चारण करती थी।[22]

अध्ययन के पश्चात कुछ स्त्रियाँ अध्यापन का कार्य भी करती थी, उपनिषदों में स्त्री शिक्षि. काओं का वर्णन है, किन्तु वे विवाहित थीं अथवा अविवाहित यह स्पष्ट नहीं है शिक्षिकाओं को 'उपाध्याया' कहा जाता था।[23]

आश्वाभायन गृह्यसूत्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में नारी शिक्षा की व्यवस्था थी और नारी को शिक्षा देने के लिए शिक्षिकाएं भी होती थी।[24] वृद्धहारीत और भृगुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के उपनयन और वेदाध्यन की व्यवस्था दी गई है वृद्धहारीत ने स्त्रियों को मन्त्रों के पाठ का अधिकारी माना है।[25] भृगु का कथन है कि बालक और बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार पांच वर्ष की अवस्था में होना चाहिए और उन्हें वेदाध्यन करना चाहिए।[26] पांच वर्ष की अवस्था में कन्याओं को गुरूकूल में भेजा देना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था।

किन्तु धर्मशास्त्रत–परम्परा के स्मृति ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नारी के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार का हनन हुआ है। मनु[27] तथा याावल्क्य28 की व्यवस्था ने स्त्रियों की शिक्षा को अत्यन्त आघात पहुंचाया। इन्होंने स्त्रियों को शूद्रों की श्रेणी में रखा और उन्हें वेद आदि के अध्ययन से वंचित किया गया है। मनु, गौतम आदि ने स्त्रियों को अस्वतन्त्र माना है।[29] मनु तथा याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों के विवाह संस्कार को ही उपनयन रूप मानकर ही पति सेवा को ही गुरूकुल बना दिया और यहीं से ही स्त्रियों की पर–निर्भरता का आरम्भ होता है, इतना ही नहीं धर्मशास्त्रकारों ने स्त्रियों के विरूद्ध षड़यन्त्र रच डाला तथा वैदिक अध्ययन के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी उन्हें शूद्रों के समकक्ष रखकर उनकी

शिक्षा समाप्त कर दी, समृतियों के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि सहशिक्षा का पूर्णतः निषेध था। मनु स्पष्ट रूप से सहशिक्षा के विरूद्ध थे। उनका कथन है कि स्त्रियाँ काम–क्रोध के वशीभूत होकर विद्वान पुरूष को भी कुमार्ग पर ले जाती है अतः माता, बहिन, पुत्री आदि के साथ भी एकान्त में न रहे। इससे स्पष्ट होता है कि स्मृतियाँ नारी को शिक्षा का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

REFERENCES

1 ऋग्वेद 1/23 2 अथर्ववेद, 2/30.5 3 ऋग्वेद, 10/27.12 भद्रा वधुर्भवती यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र कृणुते जने इत्। 4 महाभारत, अग्निपर्व 226/4 5 ऋग्वेद 10.85.26 6 मनु, 9.3, गौतम 19.1 7 मनु, 5.147 8 अस्वतन्त्रा स्त्री पुरू ाप्रधाान।। वशि ठ 51: न स्वीस्वातन्त्रयं विद्यते बौधा, 2.2.50। असवतन्त्राः स्त्रियः नारद् मनु। 1.30 9 मनु, 5.148 10 पिता रक्षति कौमार, भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वतन्त्र यमहीति।। मनु 9.3 11 अस्वतन्त्रा धर्मे स्त्री। गौतम, 18.1: नारद् 1.30 12 वृ. परा 6.60 ना. मनु 13.30 13 अथर्व, 20/126.10 14 आप, गृहया, 2.6.13,16–18 15 मनुस्मृति 9/7 16 वृ.परा 6/65 17 वृ.परा 6/199–200 18 बृह उप 2.4.1.3.6.8 19 आश्व, गृहासूत्र 3.4 20 नास्ति मातृसमो गुरू/। महा, ाान्तिपर्व 342–18 21 अथर्ववेद, 11/5, 18 22 डॉ उर्मिला प्रकाश मिश्र, प्राचीन भारत में नारी, पृ.2–3 23 पतजलि का महाभा य, 4/1/49 24 आश्व, 3.4 25 वृ. हारीत 3.6 26 भृगु, 3.40–43, 10.1–15 27 मनुस्मृति, 2/7 28 याश्रवल्क्य स्मृति, 1/13 29 मनु, 9/3, गौतम 18/1